

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -79/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

राजकिशोर महतो बनाम देवेन्द्र नाथ महतो वगैरह

03.02.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

राजकिशोर महतो पिता-स्व० सहदर महतो,
ग्राम-बेला, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो,
पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.देवेन्द्र नाथ महतो पिता-धनेश्वर महतो,
ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे,
थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.मेघनाथ महतो
पिता-नारायण महतो, ग्राम-सारुगोढ़ी, पो०-राहे,
थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड,
जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री सदानन्द सिंह मुण्डा।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-16/09/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.देवेन्द्र नाथ महतो पिता-धनेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.मेघनाथ महतो पिता-नारायण महतो, ग्राम-सारुगोढ़ी, पो०-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बेला	सोनाहातु/79	10	733	12 डी० चौहद्दी:- उ०-केशव महतो। द०-त्रिलोचन महतो। पू०-रास्ता। प०-प्लॉट नं० 733 का अंश।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-391(ii) दिनांक-17/12/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत गंगाराम महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता का संबंध खतियानी रैयत के साथ दादा-पोता एवं पंजी-II रैयत के साथ पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम सहदर महतो वो सत्यदेव महतो वो जगवन्धु महतो पे० गंगाराम महतो है। तथा रैयत के पास रकबा-22.33 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2016-17 तक वसूली गयी है।

२

- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा-पोता का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-22.21 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को परिवारिक खर्च एवं आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता कुरमी जाति के सदस्य हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता राजकिशोर महतो पिता-स्व० सहदर महतो, ग्राम-बेला, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि, को क्रेता 1.देवेन्द्र नाथ महतो पिता-धनेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.मेघनाथ महतो पिता-नारायण महतो, ग्राम-सारुगोढ़ी, पो०-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-16/09/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता राजकिशोर महतो पिता-स्व० सहदर महतो, ग्राम-बेला, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि, को क्रेता 1.देवेन्द्र नाथ महतो पिता-धनेश्वर महतो, ग्राम-डोकाद, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.मेघनाथ महतो पिता-नारायण महतो, ग्राम-सारुगोढ़ी, पो०-राहे, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-कृषि, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बेला	सोनाहातु/79	10	733	12 डी० चौहद्दी:- उ०-केशव महतो। द०-त्रिलोचन महतो। पू०-रास्ता। प०-प्लॉट नं० 733 का अंश।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)